रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2018/पौष 27, 1939
No. 26] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2018/PAUSHA 27, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 35(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए नियमों, जिन्हें केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित प्रारूप, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा; और

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या सीपीसीबी के सदस्य सचिव और मंत्रालय के वैज्ञानिक 'डी' को ई-मेल पते अर्थात **mscb.cpcb@nic.in और h.kharkwal@nic.in** पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1)** इन नियमों का नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (तदस्मिन पश्चात इन्हें उक्त नियम कहा जाएगा) में अनुसूची-। में क्र.सं. 2 - और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र.सं. तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

क्र.सं.	उद्योग	मानदण्ड	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	मानव निर्मित तन्तु	क. बहि:स्राव मानक	
			संकेन्द्रण इससे अधिक न हो (pH और सोडियम सल्फेट की पुन: प्राप्ति को छोड़कर mg/l में)

			आन्तरस्थलीय ऊपरी जल	सिंचाई के लिए भूमि	समुद्री निस्सरण
		pH	6.0-8.5	6.0-8.5	6.0-8.5
		सस्पेंडिड ठोस (एसएस)	100	100	100
		बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD-27°C पर तीन दिन)	30	100	100
		जिंक	5	5	15
		कुल घुलित ठोस	2100*	2100*	-
		टिप्पणी : (क) विस्कोस स्टैपल फाइबर और विस्कोस फिलामेंट यार्न इकाइयों में सोडियम सल्फेट की पुन:प्राप्ति 60% से कम नहीं होगी। (ख) उचित समुद्री निकास के माध्यम से समुद्री निस्सरण के मामले में टीडीएस के मानक लागू नहीं होंगे। (ग) *शोधित बहि:स्राव जल में टीडीएस 2100 मिग्रा प्रति लिटर होगा, तथापि ऐसे मामले में जहां अन्तर्ग्रहण जल में टीडीएस 1100 मिग्रा. प्रति लिटर से अधिक है वहां 1000 मिग्रा प्रति लिटर तक अधिकतम दत्तांश की अनुमति होगी बशर्ते शोधित बहि:स्राव में अधिकतम मूल्य 3100 मिग्रा. प्रति लिटर से अधिक न हो।			
		ख. बहि:स्राव मानक			
			संकेन्द्रण इससे अधिक न हो (मिग्रा./Nm^3)		
		डाइमिथाइल फोर्मामाइड और एक्रीनोलिट्राइल सहित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (केवल एक्रेलिक फाइबर इकाइयों में लागू)	50		

IndiaCode

टिप्पणी :

(क) कार्य संबंधी पर्यावरण में कार्बन डाइसल्फाइड (CS_2) और हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) का संकेन्द्रण व्यष्टिगत रूप से 10 ppm से अधिक नहीं होगा।

(ख) चट्टे की ऊँचाई का आकलन इस प्रकार किया जाएगा

$H=11\ Q^{0.41}-3\ VsDU$,

यहां Q – कार्बन डाइसल्फाइड का बहि:स्राव दर kg/hr है;

Vs चट्टे की बहि:र्गमन गति, m/प्रति सेंकिंड;

D चट्टे का व्यास, m;

U चट्टे के ऊपरी सतह पर वार्षिक औसत पवन गति m/सेंकिंड.

(ग) 31 दिसम्बर, 1998 के पश्चात निर्मित नये संयंत्रों के लिए, कुल उत्सर्जन का न्यूनतम 80% चट्टे में से गुजरेगा ओर यदि चट्टे की आकलित ऊंचाई 30 मीटर से कम हो तो 30 मीटर की अधिकतम ऊंचाई का प्रावधान किया जाएगा और यदि संयंत्र में एक से अधिक चट्टे विद्यमान हों तो निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएगा :-

(i) सभी चट्टों की अपेक्षित ऊंचाई चट्टों में से किसी भी चट्टे में अधिकतम उत्सर्जन की दर के आधार पर होगी अर्थात् CS_2 उत्सर्जन करने वाले चट्टे एक समान ऊंचाई के होंगे (अधिकतम उत्सर्जन दर के आधार पर);

(ii) चट्टों की संख्या 31 दिसम्बर, 1998 को विद्यमान संख्या से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी, तथापि उद्योग द्वारा चट्टों की संख्या घटाई जा सकती है;

(iii) दो निकटतम चट्टों के बीच की दूरी बड़े चट्टे की ऊंचाई से कम से कम तीन गुणा मीटरों में होनी चाहिए और यदि दो चट्टों के बीच की दूरी कम है, तो इन दो चट्टों से हो रहे उत्सर्जन को एकल बिंदु स्रोत के रूप में माना जाएगा और चट्टे की ऊंचाई यह मानकर आकलित की जाएगी कि उत्सर्जन एक चट्टे से हो रहे हैं;

(iv) उद्योग संयंत्र की परिधि रेखा पर (सीमा रेखा के भीतर) तीन वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र प्रतिष्ठापित करेगा ताकि परिवेशी वायु में CS_2 और H_2S के संकेद्रण की निगरानी की जा सके ओर इन केन्द्रों की अवस्थिति का निर्णय संबद्ध राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके किया जाएगा; किसी भी स्थिति में CS_2 और H_2S के स्तर (24 घंटे की दैनिक

		औसत) क्रमश 100 ug/m^3 और 150 ug/m^3 से अधिक नहीं होने चाहिए।	

(ii) क्र.सं. 60,62 और 87 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां विलोपित की जाएंगी।

3. उक्त नियमों की अनुसूची VI में -

(i) भाग ख में "अपशिष्ट जल उत्पत्ति मानक", क्र. सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	उद्योग	प्रमात्रा
"6	(क) विस्कोस स्टैपल फाइबर (वीएसएफ) संयंत्र	75 m^3 /प्रतिटन फाइबर
		150 m^3 /प्रतिटन फाइबर
	(ख) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वीएफवाई) संयंत्र	10 m^3 /प्रतिटन फाइबर
		25 m^3 /प्रतिटन फाइबर
	(ग) नाइलान पोलियस्टर	10 m^3 /प्रतिटन फाइबर
	(घ) एक्रीलिक- (i) गीली (वैट) प्रक्रिया	
	(ii) शुष्क प्रक्रिया	

(ii) भाग घ III "भार/मात्रा पर आधारित मानक" में, बिना सहप्रसंस्करण वाले सीमेंट संयंत्र' से संबंधित क्र.सं. 10(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अन्तर्लिखित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
"11	मानव निर्मित तंतु	क उत्सर्जन मानक	
	(क) विस्कोस स्टैपल फाइबर (वीएसएफ) संयंत्र (ख) विस्कोस फिलामेंट यार्न (वीएफवाई) संयंत्र (ग) रेयन पोलियस्टर और नायलान वस्त्र (केवल डुबोने वाली प्रक्रिया वाले संयंत्र)	कार्बन डाइ सल्फाइड	95 किग्रा. /प्रतिटन वीएसफ
		हाइड्रोजन सल्फाइड	30 किग्रा. /प्रतिटन वीएसफ
		कार्बन डाइ सल्फाइड	200 किग्रा. /प्रतिटन वीएसफ
		हाइड्रोजन सल्फाइड	30 किग्रा. /प्रतिटन वीएसफ
		अमोनिया	0.3 किग्रा. /प्रतिटन डिप्ड फैब्रिक

[फा. सं. क्यू 15017/40/2011-सीपीडब्ल्यू]

डॉ. ए. सेंथिलवेल, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1607(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2018

G.S.R. 35(E).—The following draft rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986 which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public.

Any person interested in making any objections or suggestions with respect to the said draft rules may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to Member Secretary, Central Pollution Control Board and Scientist 'D' Ministry at the e-mail address i.e. mscb.cpcb@nic.in and h.kharkwal@nic.in.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018.

 (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986 (thereinafter referred to as the said rules), in Schedule,

 (i) for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

IndiaCode

S. No.	Industry	Parameter	Standards		
(1)	(2)	(3)	(4)		
"2.	Man-made Fibre	**A. Effluent Standards**			
			Concentration not to exceed, (in mg/l except for pH and recovery of Sodium sulphate)		
			Inland Surface Water	Land for Irrigation	Marine discharge
		pH	6.0-8.5	6.0-8.5	6.0-8.5
		Suspended Solids (SS)	100	100	100
		Biochemical Oxygen Demand (BOD - 3 days at 27^0C)	30	100	100
		Zinc	5	5	15
		Total Dissolved Solids	2100*	2100*	--
		Note: (a) The recovery of Sodium Sulphate shall not be less than 60% in Viscose Staple Fibre and Viscose Filament Yarn units. (b) Standards for TDS shall not be applicable in case of marine disposal through proper marine outfall. (c) *The TDS value with respect to treated effluent shall be 2100 milligram per litre, however, in case where TDS in intake water is above 1100 milligram per litre, a maximum contribution up to 1000 milligram per litre shall be permitted provided the maximum value of 3100 milligram per litre is not exceeded in the treated effluent.			

		B. Emission Standards	
		Concentration not to exceed, (in mg/Nm^3)	
		Volatile Organic Compounds including Dimethyl Formamide and Acrylonitrile (applicable for Acrylic fibre units only) — 50	
		Note: (a) The concentration of Carbon Disulphide (CS_2) and Hydrogen Sulphide (H_2S) in work environment shall not exceed 10 ppm, individually. (b) The stack height shall be calculated $H = 11\ Q^{0.41}$-3 VsDU, where Q - Emission rate of Carbon Disulphide, kg/hr; Vs - stack exit velocity, m/sec; D - diameter of stack, m; U - Annual average wind speed at top of stack, m/sec. (c) For new plants built after 31st December, 1998, a minimum of 80% of total emission shall pass through stacks and if the calculated stack height is less than 30 metres, a minimum height of 30 metres shall be provided, and in case there are more than one stack existing in the plant, following conditions may be met :- (i) the required height of all stacks shall be based on the maximum emission rate in any of the stacks i.e. the stacks emitting CS_2 emission shall be of same heights (based on the maximum emission rate); (ii) number of stacks shall not be increased as existing on 31st December, 1998,however, the number of stacks may be reduced by the industry. (iii) the distance between two nearest stacks should be at least three times of height of taller stack, in metres and if distance between two stacks is less, emission being emitted through such two stacks shall be considered as a single point source and height of the stacks shall be calculated considering emissions are being emitted through one stack; (iv) the industry shall install three air quality monitoring stations on the periphery (within boundary limits) of plant so as to monitor concentration of CS_2 and H_2S in ambient air and the location of these stations shall be decided in consultation with concerned State Pollution Control Board; in any case levels of CS_2 and H_2S (24 hours daily average) shall not exceed 100 ug/m^3 and 150ug/m^3 respectively";	

(ii) serial numbers 60, 62 and 87 and the entries relating thereto shall be omitted.

3. In Schedule VI to the said rules, -

(i) in Part B "Wastewater Generation Standards", for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Quantum
"6	(a) Viscose Staple Fibre (VSF) Plant	75 m^3/tonne of fibre
	(b) Viscose Filament Yarn (VFY) Plant	150 m^3/tonne of fibre
	(c) Nylon Polyester	10 m^3/tonne of fibre
	(d) Acrylic- (i) Wet Process	25 m^3/tonne of fibre
	(ii) Dry Process	10 m^3/tonne of fibre";

(ii) in Part D.III. "Load/ Mass based Standards", after serial number 10 (A) relating to 'Cement Plant without co-processing' and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

S. No.	Industry	Parameter	Standards
"11.	Manmade Fibre	A. Emission Standards	
	(a) Viscose Staple Fibre (VSF) Plant	Carbon Disulphide	95 kg/ tonne of VSF
		Hydrogen Sulphide	30 kg/ tonne of VSF
	(b) Viscose Filament Yarn (VFY) Plant	Carbon Disulphide	200 kg/ tonne of VFY
		Hydrogen Sulphide	30 kg/ tonne of VFY
	(c) Rayon, Polyester and Nylon fabric (Dipping process Plant only)	Ammonia	0.3 kg /tonne of dipped fabric.".

[F. No. Q-15017/40/2011-CPW]

Dr. A. SENTHIL VEL, Scientist 'G'

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 1607(E), dated the 29th December, 2017.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.19 15:32:54 +05'30'